

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 569 / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 14-08-2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:- निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:- खेत गधेरा से आदिब्रदी तक मोटर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि खेत गधेरे से आदिब्रदी तक जो मोटर मार्ग के रूप में विद्यमान है वहाँ से वाहनो की आवाजाही होती है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 से पूर्व किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित वन भूमि के कोरीडोर के अन्दर ही ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाई जानी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्र सं. 4222/28-3-31/1547/76.
 प्रेषक - जी. प्रताप सिंह उपसचिव
 देना में, आरिखे (युवा आश्रम) (पर्वतीय क्षेत्र)

पर्वतीय विभागत आश्रम - 4
 विषय - पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण,
 महोदय,
 दि. लखनऊ 23 अगस्त, 1976.

उक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहने का निवेदन है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में सहायता देने के लिये 1974-05 में श्री जी. प्रताप सिंह के द्वारा 25,61,00,000 रुपये का निवेदन किया था।
 2- राज्यपाल महोदय उक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुये पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिये 375 (ए) को स्वीकृत किया।
 3- श्री जी. प्रताप सिंह के द्वारा राज्यपाल महोदय को भेजा गया निवेदन में उक्त निवेदन के अलावा अन्य भी विवरण दिए जा चुके हैं।
 4- राज्य सरकार के द्वारा उक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुये सड़कों के निर्माण के लिये 375 (ए) को स्वीकृत किया।
 5- उपरोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के द्वारा सड़कों के निर्माण के लिये 375 (ए) को स्वीकृत किया।

पर्वतीय क्षेत्रों में प्रस्तावित सड़कों की सूची इस के लिए
 वर्ष 1976-77 में धन की व्यवस्था की जाती है;

क्रम सं.	सड़क का नाम	लम्बाई	आवृत्त लागत	वर्ष 1976-77 के लिए प्रस्तावित व्यय	वर्ष 1976-77 राज्य सरकार निर्देश के अंतर्गत आवृत्त व्यय	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री. प्रताप सिंह मजाला, मोजालला हरियाली धनुषा-नौरी, काढ़वाडी मार्ग,	47 मि.मी.	119 लाख	1.00 लाख	0.10 लाख	काढ़वाडी से नौरी हरियाली मार्ग

सचिव, पर्वतीय क्षेत्र
 31/8/76
 लखनऊ

प्रतिलिपि

9

श्रेष्ठ,
सिवासे,

संख्या 4410-28-4-31/1483/1974
प्रशासनिक उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सीमान्त) सांठिनोविओ उओप्रओ लखनऊ
पर्यायीय विकास अनुभाग -4 दिनांक लखनऊ 7/12/1974

विषय:- पर्यायीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण।
महोदय,

उक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यायीय क्षेत्रों के आठों जिलों में सर्वानु मूखी में उल्लिखित सड़कों के निर्माण के लिये केवल 17, 79, 98, 900/रु0 (सत्रह करोड़ उन्नीस लाख अठानवे हजार नौ सौ रु0 केवल) का व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री राज्यपाल महोदय उक्त सड़कों के निर्माण के लिये केवल 17, 79, 98, 900/- रु0 (सत्रह करोड़ उन्नीस लाख अठानवे हजार नौ सौ रु0) को लागत के व्ययों के पर प्रशासकीय अनुमोदन भी प्रदान करते हैं।

3- उक्त कार्य पर तब तक कोई व्यय न किया जाय जब तक कि उपरोक्त स्वीकृत व्यय के अन्दर व्योरेवार नकी और अनुमान तैयार न हो जाय और सार्वजनिक निर्माण विभाग के कक्ष अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न दे दी जाय।

4- चूंकि चालू वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में उपर्युक्त व्यय के लिये कोई प्राविधान नहीं है और चूंकि ये कार्य अत्यावश्यक तथा अपरिहार्य है अतः अनुपूरक अधिनियम द्वारा इन कार्य पर व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने तक व्यय के लिये श्री राज्यपाल महोदय ने राज्य आकस्मिकता निधि से केवल 1, 63, 000/- रु0 (एक लाख तिरसठ हजार रु0 मात्र) का अग्रिम देने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान की है। इस अग्रिम का वाद में नियमानुसार अनुपूरक विनियोग अधिनियम प्रतिदान कर किया जायेगा।

5- राज्य आकस्मिकता निधि से लिये अग्रिम से किये गये समस्त व्यय सम्बन्धित जिलो/भाउखरों पर प्रनुअरुत से इस शासनादेश का खाला देते हुये यह लक्षित किया जाना चाहिये कि यह आकस्मिकता निधि से संबंधित है। साथ ही उस पर इस शासनादेश के पैरा 6 में उल्लिखित शर्तों को भी लक्षित किया जाना चाहिये। प्रत्येक आहरण अधिकारी को आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम का कैसा उचित प्रकार रखने के निर्देश में लिये जाय जैसा कि राज्य के वार्षिक निधि से लिये जाने से संबंधित व्यय के संबंध में रखा जाता है।

6- उपरोक्त व्यय अन्ततः राज्य सरकार के बजट के वर्ष 1974-75 के लेखा शीर्षक ' 499 दिोध तथा पिठके हुये क्षेत्रों पर पर्यो परिब्यय आयोजनागत के पर्यायीय क्षेत्रों का विकास (ब) सड़के- सार्वजनिक सिस्त्र निर्माण ' के नाम किया जायेगा।

7- चिोधन है कि इस शासनादेश को प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

श्री जगन्नीय प्रतापसिंह उप सचिव।

संख्या 4410(1)/28-4-31/1483/1974

प्रतिलिपि महासेवाकार उत्तर प्रदेश कालाबाद की सूचनाई प्रेषित।

अज्ञात से (संभवित है) व्युत्पत्ति।

श्री जगन्नीय प्रतापसिंह (सूचना) महासेवाकार (सूचना) प्रेषित।

संख्या 4410(2)/28-4-31ए/1483/1974

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

- 1- जिला मजिस्ट्रेट/चमोली/ उत्तरकाशी/टेहरा गढ़वाल, पीड़ी गढ़वाल/नैनीताल/ पिथौरागढ़
- 2- अधीक्षण अभियन्ता पीपलकोटी जिला चमोली/उत्तरकाशी, मुरादाबाद/नैनीताल/ पिथौरागढ़।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (नियोजन वर्ग) सा०नि०वि० लखनऊ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग (नियोजन वर्ग)

संख्या 22पी०एल०/181पी०एल०/74 दिनांक लखनऊ जनवरी 8, 1975

शासकीय आदेश संख्या 4410-28-4-31/1483/1974 दिनांक 27-12-74 को प्रति अधीक्षण अभियन्ता 38 वां वृत्त सा०नि०वि० पीपलकोटी अधिकाणी अभियन्ता प्रान्तीय सड़क सा०नि०वि० कर्मप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न: - उपरोक्त

उन मोटर गाँवों की सूची जिनके लिये चालू वित्तीय वर्ष 1974-75 में आकस्मिकता निधि से धनराशि की व्यवस्था की जानी है।

जिले का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई कि०मी०	अनुमानित लागत में	वर्ष 74-75 में प्रस्तावित व्यय	वर्ष 1974-75 में आकस्मिक निधि से धन की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6
चमोली (5)	कर्मप्रयाग नौटी किरसाल	60-00	1, 03, 60, 000	5, 000	2, 000
	गिदौखाल				

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता प्रथम
सा०नि०वि० कर्मप्रयाग

हस्ताक्षर. अपठनीय
प्रतापसिंह उप सचिव,